

आदेश की
कम सं० और
तारीख

ओदश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर
गई कार्यवा
के बारे में
टिप्पणी, तार
सहित

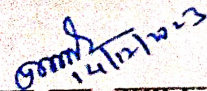
14.12.2023

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, महुआडांड के पत्रांक-517, दिनांक-25.11.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम रामपुर के खाता सं०-49, प्लॉट सं०-113, रकबा 0.16 एकड़ की है। प्रस्तावित भूमि आवेदक की खरीदगी है। प्रस्तावित भूमि का मांग बिक्रेता के स्वयं के नाम से मांग पंजी II में चलता है। खतियानी रैयत से जमाबंदी रैयत का कोई संबंध नहीं है।

क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही राजस्व थाना क्षेत्र के निवासी हैं तथा दोनों अनुसूचित जनजाति के किसान जाति के हैं। दोनों आदिवासी दम्पति से उत्पन्न सन्तान है। आवेदक के पास ग्राम-रामपुर, थाना-महुआडांड में 0.31 एकड़ खरीदगी भूमि एवं ग्राम-कबरापाठ में 3.21 एकड़ भूमि है। विक्रेता बहन की विवाह हेतु मौजा-रामपुर के खरीदगी भूमि का खाता सं०-49, प्लॉट सं०-113, रकबा 0.16 एकड़ भूमि बिक्री करना चाहते हैं बिक्री के पश्चात विक्रेता के पास 3.36 एकड़ भूमि बचता है। प्रस्तावित भूमि की बिक्री के निमित्त आम इस्तहार का तामिला प्राप्त है किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। क्रेता एवं विक्रेता को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया था। दिनांक-14.12.2023 को विक्रेता कार्यालय में उपस्थित होकर बताया कि मैं अपनी इच्छा से भूमि बिक्री करना चाहता हूँ।

अतः अंचल अधिकारी, महुआडांड के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में विक्रेता रमेश नगेसिया, पिता-स्व० शिवु नगेसिया, ग्राम-सुरकई, थाना-महुआडांड, जिला-लातेहार मौजा-रामपुर के खाता सं०-49, प्लॉट सं०-113, रकबा 0.16 एकड़ भूमि को राजीव रंजन नगेसिया, पिता-गोपाल नगेसिया, ग्राम-चीरो (नवाटोली), थाना-महुआडांड, जिला-लातेहार के साथ छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत बिक्री करने की.....अनुमति..... दी जाती है।

स्वीकृति आदेश निर्गत करें।


भूमि सुधार उप-समाहर्ता
महुआडांड।